

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

(18)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

घनसिंह बनाम येना

किस्म मुकदमा

नं 2/141/2020 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयडनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>10.11.2020</p> <p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेज एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी/ प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्ट्या में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 10.12.2020 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.18, 1126 रकबा 0.23, 1129 रकबा 0.23, 1130 रकबा 0.23, 1131 रकबा 0.28 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 1.15 हैक्ट0 वाके ग्राम इन्दपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थीगण रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 10.12.2020 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 10.12.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)</p>	<p>10/12/20</p> <p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य पित है। पेश किया, रकल दिलाई गई। वास्तु दिनांक 10/12/20 को पेश हो।</p> <p>2/141/2020</p> <p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य पित है। पेश किया, रकल दिलाई गई। वास्तु दिनांक 10/12/20 को पेश हो।</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियत जज

अदालत की तारीख

18.8.23 वकील वकील उपस्थित।
 साबिक आदेश दिनांक 3.7.23
 की पालना में पत्रावली वास्ते को पेश हो से अंतिम
 दिनांक 19/9/23 को पेश हो
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

20/9/23 पत्रावली दिनांक 17.10.23
 पत्रावली दिनांक 17.10.23 को पेश हो।

17.10.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब पुनाप है।
 पत्रावली दिनांक 24/11/23 को पेश हो।
 रीडर

29/11/23 पत्रावली पेश। P.O. साहब पुनाप है।
 पत्रावली दिनांक 19/12/23 को पेश हो।
 रीडर

19/11/23 पत्रावली पेश। P.O. साहब पुनाप है।
 पत्रावली दिनांक 16/11/24 को पेश हो।
 रीडर

16.1.24

पत्रावली तैयार हुई। वकील हार्न अनुपस्थित।
 वकील व उनके हार्न को बार-बार भावाप
 लगवायी गई। साथ 5:00 बजे तक इंतजार किया
 गया पुनः भावाप लगवायी गई। इसके बावजूद वकील
 व उनके हार्न उपस्थित नहीं आये। अतः हार्न पत्रा
 -212 RTI वकील व उनके हार्न की अंतिम हार्न पत्रा
 भूमि पेशी में खासिय किया जा रहा है। पत्रावली के अंत
 शूमार होकर नम्बर से कम हो। बाद में तर्कमूलक
 मूल वाद के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज